# सूचना

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पेंशनभोगी कार्मिकों/उनकी विधवा पत्नी/ आश्रितों को सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार ग्रुप केन्द्र के०रि०पु०बल मोकामाघाट में दिनांक 18/09/2018 को 0900 बजे पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किया जाएगा :-

क) सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन में संशोधन।
ख) पेंशन कम मिलने के संबंध में समस्या।
ग) पेंशन उपभोक्ताओं के मरणोपरांत उनके पत्नी/आश्रित को पेंशन की अदायगी नहीं होना।
घ) पेंशन उपभोक्ताओं को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ी हुई वेतन का लाभांश।
ङ) चिकित्सा भत्ता की अदायगी नही होना या चिकित्सा भत्ता बंद करवाने के उपरांत सि.जि.एच.एस. के तहत चिकित्सा का सुविधा प्रदान करने के संबंध में।
च) मुल पेंशन अदायगी बुक गुम हो जाने के संबंध में।
छ) पुराने पेंशन अदायगी बुक में पत्नी का नाम अंकित नही होने के कारण पेंशन उपभोक्ताओं के मरणोपरांत पारिवारिक पेंशन जारी/अदायगी के संबंध में समस्या।
ज) दोहरी पारिवारिक पेंशन के संबंध में।

2. उक्त अदालत में केरिपुबल के अतिरिक्त पी०ए०ओ०/आर०पी०ए०ओ ,सी०सी०ए० (होम) तथा बैक का सी०पी०पी०सी० के प्रतिनिधि समस्या निवारण हेतु भाग लेगें। अतः उपरोक्त समस्याओं में से यदि आपको कोई समस्या है तो आप दिनांक 27/08/2018 तक लिखित में इस कार्यालय को अपनी समस्या को प्रेषित करने का श्रम करें ताकि आपके समस्या को महानिदेशालय (कल्याण) केरिपुवल, नई दिल्ली को दिनांक 01/09/2018 को प्रेषित किया जा सके जिसका निवारण/समाघान आयोजित किये जा रहे पेंशन अदालत के द्वारा किया जायेगा।

3. उपरोक्त के अलावा आपसे अनुरोध है कि आप अपने समस्याओं के निवारण/समाधान हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिनांक 18/09/2018 को 0900 बजे तक इस ग्रुप केन्द्र में आयोजित की जा रही पेंशन अदालत में उपस्थित होने का श्रम करे ताकि आपके द्वारा प्रेषित की गई समस्याओ का जल्द से जल्द पेंशन अदालत के द्वारा निवारण/समाधान किया जा सके :-

क) पेंशन अदायगी आदेश एवं पेंशन बुक(पेंशनर संभाग)
ख) पेंशन उपभोक्ताओं का पहचान पत्र/डिस्चार्ज बुक
ग) संशोधित पेंशन ऑथोरिटी की प्रति।
घ) आधार कार्ड की प्रति।
ङ) बैंक पास बुक, जिस बैंक के द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे है।
च) यदि दोहरी पारिवारिक पेंशन से संबंधित है तो केरिपुबल द्वारा जारी किया गया ऑथोरिटि की प्रति।
छ) यदि आपक पारिवारिक पेंशनर हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र एवं पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र।
ज) यदि आपका पेंशन बुक गुम हो गया है जो एफ.आई.आर. की प्रति।

4. साथ में यह भी सुचित किया जाता है कि इस पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए इस कार्यालय द्वारा यात्रा,रुकने तथा भोजन आदि पर होने वाला खर्च वहन नहीं किया जाएगा।

18/8/18

कृते पुलिस उप महानिरीक्षक
ग्रुप केन्द्र के.रि.पु.बल,मोकामाघाट

Scanned by CamScanner